4. आर्थिक समानता

आर्थिक समानता का आशय यह नहीं है कि व्यक्तियों को समान वेतन मिले या सभी व्यक्ति बराबर-बराबर भौतिक साधनों का उपयोग करें। इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर पाना कभी संभव नहीं हो सकता और न ही यह उचित होगा। आर्थिक समानता का आशय यह है कि सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए तथा सम्पत्ति की दृष्टि से समाज में भारी विषमताएँ नहीं होनी चाहिए। आर्थिक समानता के अंतर्गत निम्न बातें आती हैं—

(i) सभी व्यक्तियों की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जब तक सभी व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएँ प्राप्त न हो जाएँ तब तक किन्हीं व्यक्तियों को विलासिता के साधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

(ii) सभी व्यक्तियों को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी और उचित अवकाश की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए।

(iii) बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और अंगभंग की स्थिति में व्यक्तियों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए।

(iv) पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।

(v) सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि उनके द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सके।

(vi) राष्ट्र की सम्पत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित नहीं होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कुछ व्यक्ति उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर किन्हीं अन्य व्यक्तियों का शोषण न कर सकें।

आर्थिक समानता के लक्ष्य को ठोस कार्यों के आधार पर ही प्राप्त कर पाना संभव है।

END